न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **345 / 2024** दायर दिनांक **07.10.2024**

वादीगण

1. मुक्तियार खॉं पुत्र अकबर खॉं
2. अब्दुल खालिद पुत्र मोईनुदीन खॉं
3. खलील अहमद पुत्र जमील खॉं

जातिगण शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन राज.

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. असगर खॉं पुत्र अकबर खॉं
2. अहमद अली खॉं पुत्र अकबर खॉं
3. शौकत अली पुत्र अकबर खॉं
4. जैतुन बाई पुत्री अकबर खॉं
5. बरकत बानो पुत्री अकबर खॉं
6. रहमत बानो पुत्री अकबर खॉं
7. उर्मिला पत्नी लुकमान खॉं
8. मोगा पत्नी अकबर खॉं
9. बजरूदीन पुत्र मोईनुदीन खॉं
10. इमामुदीन पुत्र स्व. मोईनुदीन खॉं
11. अब्दुल रसीद पुत्र स्व. मोईनुदीन खॉं
12. ऐमना पुत्री स्व. मोईनुदीन खॉं
13. जोरा पुत्री स्व. मोईनुदीन खॉं
14. जुबेदा पुत्री स्व. मोईनुदीन खॉं
15. खातून बेगम पत्नी स्व. मोईनुदीन खॉं
16. लियाकत अली पुत्र स्व. जमील खॉं
17. शबीर अहमद पुत्र स्व. जमील खॉं
18. जाकिर हुसैन पुत्र स्व. जमील खॉं
19. अमीना पुत्री स्व. जमील खॉं
20. गुलशन पुत्री स्व. जमील खॉं
21. मदीना पुत्री स्व. जमील खॉं
22. शकीला पुत्री स्व. जमील खॉं
23. मुस्कान पुत्री स्व. जमील खॉं
24. सादिया पुत्री स्व. जमील खॉं
25. बिस्मिला पत्नी स्व. जमील खॉं
    समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.
26. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 R.T.Act एवं 136 L.R.Act

1. श्री मो. शरीफ शेरानी वकील वादीगण।
2. श्री मो. युनुस सलीम वकील प्रतिवादीगण संख्या 1,4 ता 9, 12 ता 15, 17, 18, 20, 22 ता 25

–:: निर्णय ::–

दिनॉंक **04.08.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाकै सरहद डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र केराप में खेत खसरा संख्या 1183 / 841 रकबा 2.0525 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 1190 / 819 रकबा 0.0[illegible] बारानी 1, खसरा संख्या 1180 / 15 रकबा 1.8696 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा [illegible] 118[illegible] रकबा 1.9910 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 1188 / 535 रकबा 0.3800 हैक्टेयर [illegible] 1, खसरा संख्या 243 रकबा 2.0500 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 1179 / 15 रक[illegible] [illegible]2662 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 605 रकबा 1.7700 हैक्टेयर बारानी 1 भूमि [illegible] व प्रतिवादीगण के पैत्रिक कब्जा काश्त व संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। उक्त विवादी[illegible] भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बंटवारा हो चुका है, तथा मौके पर जमीन अनुसार बंट व सिवें–निवें कायम है, मगर विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं होने की वजह से हर बार सिवें–निवें व काई सरकारी सहायता आदि में परेशानियॉं आती रहती है तथा आये दिन सीमा विवाद होता रहता है। उक्त खसरान की भूमि की प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.11.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

2022 को हुई थी, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच जरिये ईकबालिया जवाब से बंटवारे की सहमति बनी थी व इसी सहमति के अनुसार ही तहसीलदार द्वारा मौका देखा गया था, जिसमें डाबगांव के उक्त खसरान की भूमि में जिस प्रकार काबिज काश्तकार है, उनका नाम रेकर्ड में नहीं रख कर उक्त काश्तकार के बाकी अन्य परिवार के नाम भी घोषणा खातेदारी में कर दी गई, जबकि मौके पर पूर्व में पेश दावा में जो नजरी नक्शा में पेश किया गया था, उसी अनुसार नहीं करके सभी खातेदारों का नाम वापस रख दिया गया था।

प्रतिवादी संख्या 2 अहमद अली को अन्य खेत में बंट में दे दिया व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8, 12 ता 15 व 19 ता 25 को सामाजिक रिति–रिवाज से उनका हक अदा कर दिया है। उपरोक्त विवाद ग्रस्त भूमि में वादीगण का अपने हिस्से व बंट में आई भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है, लेकिन हाल ही में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उनके हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल करने व उनक हिस्से की भूमि को किसी भू–माफिया का बैचाण करने की धमकी देने व वादी संख्या 1 मुक्तियार खॉ का नाम राजस्व रेकर्ड में मुकत्यार अहमद हो रखा है, जबकि इनके नाम से जारी पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड म मुक्तियार खॉ दर्ज रखा है, इसलिए इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में मुकत्यार अहमद के स्थान पर मुक्तियार खॉ दर्ज करवाना आवश्यक होने से यह वाद बाबत बंटवारा, खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

01. वाके सरहद डाबगांव के खेत खसरा संख्या 1179/15 रकबा 2.2662 हैक्टेयर का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जावे–
    प्रतिवादी संख्या 1 असगर खॉ के 1.1331 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 3 शौकत अली के 1.1331 हैक्टेयर भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावे। शेष खातेदारों को नाम इस भूमि में से हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।
02. वाके सरहद डाबगांव के खेत खसरा संख्या 605 रकबा 1.7700 हैक्टेयर का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जावे–
    वादी संख्या 1 मुक्तियार खॉ के सम्पूर्ण भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावे। शेष खातेदारों को नाम इस भूमि में से हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।
03. वाके सरहद डाबगांव के खेत खसरा संख्या 1180/15 रकबा 1.8696 हैक्टेयर का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जावे–
    प्रतिवादी संख्या 10 इमामुदीन के 0.9348 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 11 अब्दुल रसीद के 0.9348 भूमि कब्जा काश्त में रखी जावे। शेष खातेदारों को नाम इस भूमि में से हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।
04. वाके सरहद डाबगांव के खेत खसरा संख्या 1183/841 रकबा 2.0525 हैक्टेयर का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जावे–
    वादी संख्या 2 अब्दुल खालिद के 1.0262 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 9 बजरूदीन के 1.0262 हैक्टेयर भूमि कब्जा काश्त में रखी जावे। शेष खातेदारों को नाम इस भूमि में से हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।
05. वाके सरहद डाबगांव के खेत खसरा संख्या 1190/819 रकबा 0.0500 हैक्टेयर का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जावे– [illegible] रखी जावे। शेष
    वादी संख्या 2 अब्दुल खालिद के सम्पूर्ण भूमि [illegible] राजस्व रेकर्ड में
    खातेदारों को नाम इस भूमि में से हटाया जावें त[illegible]
    अमल दरामद किया जावें।
06. वाके सरहद डाबगांव के खेत खसरा संख्या 1181/15 [illegible] 1.9910 हैक्टेयर का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जावे– [illegible] व प्रतिवादी संख्या 18
    प्रतिवदी संख्या 17 सबीर अहमद के 0.9955 हैक्टेयर भू[illegible] शेष खातेदारों को
    जाकिर हुसैन के 0.9955 हैक्टेयर भूमि कब्जा काश्त में रखी जावे। शेष खातेदारों को नाम इस भूमि में से हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:07 IST
Reason: SelfAttested

07. वाके सरहद डाबगांव के खेत खसरा संख्या 1188/535 रकबा 0.3800 हैक्टेयर का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जावे–

वादी संख्या 1 खलील अहमद के सम्पूर्ण भूमि कब्जा काश्त में रखी जावे। शेष खातेदारों को नाम इस भूमि में से हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

08. वाके सरहद डाबगांव के खेत खसरा संख्या 1188/535 रकबा 0.3800 हैक्टेयर का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जावे–

वादी संख्या 1 खलील अहमद के 0.8350 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 16 लियाकत अली के 1.2150 हैक्टेयर भूमि कब्जा काश्त में रखी जावे। शेष खातेदारों को नाम इस भूमि में से हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 2 अहमद अली को अन्य खेत में बंट में दे दिया व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8, 12 ता 15 व 19 ता 25 को सामाजिक रिति–रिवाज से उनका हक अदा कर देने से उनका नाम उपरोक्त खसरान की भूमि से हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे, वादी संख्या 1 मुख्त्यार खॉ का नाम राजस्व रेकर्ड में मुकत्यार अहमद के स्थान पर मख्त्यार खॉ दर्ज किया जावे तथा इसी अनुरूप रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे व वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उपरोक्त भूमि में न तो स्वयं प्रतिवादीगण दखल अन्दाजी, बेचाण, हस्तान्तरण, गिरवीनामा आदि करें तथा न ही अपने किसी एजेन्ट, प्रतिनिधि आदि से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 9, 12 ता 15, 18, 17, 20, 22 ता 25 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद युनुस सलीम ने इकबालिया जवाब पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 2,3,10,11, 16, 19, 21, 26 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पक्षकारान ने दावा डिक्री करवाने पर सहमति व्यक्त की है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं तत्समय विधि का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन के दौरान पाया कि वाद वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि से संबंधित एक वाद संख्या 403/2022 बनुवान बजरूदीन बनाम असगर खां अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 वास्ते घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जा चुका है जिसका न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.06.2023 को निर्णय पारित किया जा चुका है। वादीगण द्वारा उक्त वाद वर्णित खसरान् की भूमि से संबंधित उक्त वाद पुनः प्रस्तुत किया गया है। जो कि विधि संगत नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत "न्यायित मामला(Res Judicata)" श्रेणी में आता है जिससे वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

दावा डिक्री सादिर कर सरहद डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र केराप में खेत खसरा संख्या 1183/841 रकबा 2.0525 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 1190/819 रकबा 0.0500 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 1180/15 रकबा 1.8696 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 1181/15 रकबा 1.9910 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 1188/535 रकबा 0.3800 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 243 रकबा 2.0500 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 1179/15 रकबा 2.2662 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 605 रकबा 1.7700 हैक्टेयर बारानी 1 भूमि में वादी का हस्तगत वाद "न्यायित मामला(Res Judicata)" खारिज किया जाता है। डिक्री फर्द जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:07 IST
Reason: Self Attested

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 04.08.2025 को सरे इजलास, में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना